<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 7/18/2025 - डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 24.09.2025

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (एसएसआर) - 11/2025

विषय: <u>चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) कंपोनेंट आर-32" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।</u>

1. **<u>फा. सं. 7/18/2025 - डीजीटीआर</u>**: एसआरएफ लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रुप में कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियम' के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रुप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) कंपोनेंट आर-32 (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तु' के रुप में कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उसे पहले ही वापस न ले लिया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी

कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. <u>विगत जांच की पृष्ठभूमि</u>

3. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 28 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के अनुसरण में, प्राधिकारी ने दिनांक 23 सितंबर 2021 की अंतिम जांच परिणाम संख्या फा. सं. 06/33/2020-डीजीटीआर के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 दिसंबर 2021 की अधिसूचना सं. 75/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित उत्पाद के समान है, जो इस प्रकार है:

"7. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) कंपोनेंट आर-32 या डाइफ्लोरोमीथेन" है।

8. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) कंपोनेंट आर-32 या डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र CH2F2 है और यह सीएएस संख्या 75-10-5 के रूप में पंजीकृत है। इसे एचएफसी-32, एफसी-32, फ्रीऑन-32, मेथिलीन डाइफ्लोराइड, मेथिलीन फ्लोराइड, कार्बन फ्लोराइड हाइड्राइड, हेलोकार्बन आर32, फ्लूरोकार्बन आर32 और यूएन 3252 के नाम से भी जाना जाता है। एचएफसी कंपोनेंट आर-32 का उपयोग मुख्य रूप से आवासीय एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में किया जाता है।"

5. वर्तमान आवेदन चूंकि एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन वही हैं जैसा कि मूल अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में परिभाषित किया गया है।

ग. <u>समान वस्तु</u>

6. आवेदक ने यह दावा किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान आवेदन लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने हेतु निर्णायक समीक्षा जांच करने के लिए है। प्राधिकारी द्वारा समान वस्तु के मामले की जांच मूल जांच में भी की जा चुकी है। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देश से उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

7. यह आवेदन एसआरएफ लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह प्रमाणित किया है कि उसने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध देशों के निर्यातकों अथवा भारत में आयातकों से संबद्ध है।

8. आवेदक के अलावा, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ('जीएफएल') विचाराधीन उत्पाद का अन्य उत्पादक है। आवेदक ने यह दावा किया है कि जीएफएल ने प्रस्तावित जांच की अवधि के बाद भारत में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है।

9. इसे देखते हुए और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, यह देखने में आया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है। आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. <u>संबद्ध देश</u>

10. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

च. <u>जांच की अवधि</u>

11. जांच की अवधि (पीओआई) दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) तक की है। क्षति जांच की अवधि अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और जांच की अवधि है।

छ. <u>कथित पाटन का आधार</u>

i. सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है तथा यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

13. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को उत्पाद की निर्यात कीमत के आधार

पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने संयुक्त अरब अमीरात से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है, जिसे निवल कारखाना बाह्य स्तर पर समायोजित किया गया है। आवेदक ने भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य की भी पूर्ति की है।

14. जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ-साथ उचित लाभ मार्जिन के साथ विधिवत समायोजित किया गया है।

ii. निर्यात कीमत

15. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात संबंधी आंकड़ों में दर्शाई गई सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और ऋण लागत के लिए समायोजन किए जाने का दावा किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम के स्तर से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से सूचना और साक्ष्य प्राप्त होने के बाद पाटन की संभावना का भी निर्धारण करेंगे।

ज. <u>क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध</u>

17. आवेदक ने पाटनरोधी उपायों के समाप्त होने की स्थिति में क्षति की संभावना के संबंध में *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि इन

उपायों के लागू होने के कारण पाटित आयातों में कमी आई है, लेकिन वे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से नीचे बने हुए हैं। आवेदक ने क्षति की संभावना के अपने दावे के समर्थन में अधिशेष क्षमता, तीसरे देश के उपायों और तीसरे देश के कीमत विश्लेषण के संबंध में सूचना भी प्रदान की है।

18. आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना, प्रथम दृष्टया, संबद्ध देश से पाटन जारी रहने और पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

झ. <u>निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत</u>

19. आवेदक के विधिवत प्रमाणित किए गए आवेदन के आधार पर तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, जो पाटन और क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना को प्रमाणित करता है तथा नियमावली के नियम 23 (1बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

ञ. <u>प्रक्रिया</u>

20. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. <u>सूचना की प्रस्तुती</u>

21. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जाने चाहिए, जिनकी एक-एक प्रति dir15-

dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फार्मेट में हों।

22. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार और भारत में आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध माने जाते हैं, अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (dgtr-india@gov.in) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

ठ. <u>समय सीमा</u>

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्राधिकारी को ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक-एक

प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर भी भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियमों के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए आवेदन करने के संबंध में सूचना प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ङ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती</u>

29. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

30. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकन के प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना मानी जाएगी और

प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं, और/अथवा अन्य सूचना, जिसे ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए, जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित किया गया अथवा खाली छोड़ा गया हो (जहां अनुक्रमण करना संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

33. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए नियमावली 1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।

34. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों का अगोपनीय पाठ प्रसारित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. गोपनीयता के दावे पर नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त कारण का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं

के बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

36. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच के आधार पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप से उसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

37. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट हाने और स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ़. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ण. <u>असहयोग</u>

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार समुचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंच प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वह उपयुक्त समझें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी